न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष.

निगरानी प्रकरण कमांक 1514–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–04–2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार परगना आरौन, जिला गुना के प्रकरण कमांक 37/अ–27/2004–05.

.....

1– शांतीबाई बेवा स्व0श्री ज्ञानीचन्द्र जैन,
2– प्रमोद जैन पुत्र स्व0श्री ज्ञानीचन्द्र जैन
निवासीगण गुलाबगंज आरौन जिला गुना म0प्र0
3– श्रीमती कल्पना जैन पत्नी श्री पवन जैन
पुत्री स्व. श्री ज्ञानीचन्द्र जैन
निवासी बैलोसिटी टॉकीज के पास, इंदौर म0प्र0
4– पवन जैन पुत्र स्व. श्री ज्ञानीचन्द्र जैन
निवासी गुलाबगंज, आरौन, जिला गुना म0प्र0
5– श्रीमती रेखा जैन पत्नी श्री प्रदीप जैन
पुत्री स्व.श्री ज्ञानीचन्द्र जैन
निवासी विजय नगर इंदौर म.प्र.
6– श्रीमती अंतिम जैन पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार जैन
पुत्री स्व. श्री ज्ञानीचन्द्र जैन
निवासी अशोक नगर म0प्र0
7– श्रीमती अलका जैन पत्नी श्री सुनील कुमार जैन
पुत्री स्व0 श्री ज्ञानीचन्द्र जैन
निवासी मुंगावली जिला अशोक नगर
8– रमेश जैन पुत्र स्व.श्री ज्ञानीचन्द्र जैन
9– कु.रानी पुत्री स्व. श्री ज्ञानीचन्द्र जैन
निवासीगण गुलाबगंज आरौन जिला गुना म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

नेमीचन्द्र पुत्र मूलचन्द्र
निवासी गुलाबगंज जिला गुना म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री मुकेश बेलापुरकर अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/7/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार आरौन जिला गुना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–04–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार परगना आरौन जिला गुना के समक्ष प्रकरण कमांक 37/अ–27/2004–05 में प्रचलित कार्यवाही के दौरान पवन जैन द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13–3–13 को यथास्थिति बनाये रखने के संबंध में आदेश पारित किया है, अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में प्रकरण में यथास्थिति बनायी रखी जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 26–4–14 को आदेश पारित कर मुख्य रूप से यह निष्कर्ष निकालते हुये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश नहीं देकर तृतीय पक्ष द्वारा स्वत्व उत्पन्न नहीं करने के आदेश दिये गये हैं और राजस्व मण्डल द्वारा भी पूर्व में इस आशय का आदेश पारित किया गया है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बंटवारे के संबंध में रोक नहीं लगाई गई है, पवन जैन का आवेदन निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश दिनांक 26–4–14 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय प्रकरण में स्थगन आदेश पारित किया गया है, इसलिये तहसीलदार द्वारा प्रकरण में कार्यवाही नहीं कर प्रकरण स्थगित करना चाहिये था, परन्तु उनके द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करने में जहॉ अवैधानिकता की गई है वहीं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है । यह भी तर्क

प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जो आदेश पारित किया गया था उसकी परिस्थितियॉ उस समय पृथक थी और वर्तमान में प्रकरण की परिस्थितियॉ भिन्न है। उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर तहसीलदार के समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया है और जिसकी अपील भी निरस्त हो चुकी है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रचलित बटवारे की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई है, अतः तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित रखने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व के संबंध में द्वितीय अपील लंबित है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13–3–2013 को इस आशय का स्थगन आदेश पारित किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर तृतीय पक्ष द्वारा स्वत्व निर्मित नहीं करने के निर्देश दिये गये हैं, अतः यदि तहसीलदार द्वारा बटावारे की कार्यवाही की जाती है तब निश्चित रूप से तृतीय पक्ष का स्वत्व निर्मित होगा । ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार का यह विधिक दायित्व था कि वे उनके न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही स्थगित करते, परन्तु ऐसा नहीं करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है । इस संबंध में तहसील न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बटवारे की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि तहसीलदार द्वारा बटवारे की कार्यवाही करने से प्रश्नाधीन भूमि पर तृतीय पक्ष का स्वत्व निर्मित होगा । उपरोक्त विश्लेषण के

परिप्रेक्ष्य में अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तहसीलदार के समक्ष बटवारे की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–04–2014 विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है । तहसीलदार के समक्ष लंबित प्रकरण की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तक स्थगित की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर